

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश
वरिष्ठ एवं स्वतंत्र पत्रकार हेतु राज्य स्तरीय प्रेस मान्यता नवीनीकरण वर्ष 2022 एवं 2023 का प्रारूप

संस्थान का विवरण						
क्र०सं०	मीडिया प्रतिनिधि का नाम	पदनाम	कार्ड सं०	फोन/मोबाइल नं०	ई-मेल	आवासीय पता

नवीनीकरण हेतु अनिवार्य संलग्नक:-

1. निवास प्रमाण पत्र (वोटर आईडी/आधार कार्ड/पासपोर्ट/बिजली बिल/रेंट एग्रीमेंट)
2. दो नवीनतम फोटोग्राफ।
3. स्वतंत्र पत्रकार हेतु (अद्यतन प्रकाशित लेख/समाचार/न्यूज/फीचर/फोटोग्राफ आदि कम से कम दो प्रतिष्ठित समाचार-पत्र/प्रत्रिकाओं में नियमित रूप में प्रकाशित लेखों की छायाप्रति। (प्रतिष्ठित संस्थान उन्हीं को माना जायेगा, जो मार्गदर्शिका में उल्लिखित एवं सूचना अनुभाग-1 के पत्र दिनांक 27 अगस्त, 2009 में निहित अर्हताओं के अनुरूप होगा।)
4. वरिष्ठ पत्रकार हेतु (केवल आधार कार्ड)
5. (स्वतंत्र पत्रकार हेतु) लेखन से होने वाले आय का विवरण (प्रमाण-पत्र के साथ)
6. प्रत्येक दशा में प्रारूप को जमा करने की अन्तिम तिथि 15 दिसम्बर, 2021 होगी।
7. पुराना प्रेस मान्यता कार्ड वापस/जमा करने पर ही नया कार्ड निर्गत किया जायेगा।
8. अपरिहार्य कारणों से मान्यता कार्ड संख्या में परिवर्तन सम्भावित।

संस्तुति कर्ता के नाम व हस्ताक्षर/मोहर युक्त/मोबाइल नम्बर